

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 60/24 प्रा.पत्र

श्री रामपाल शि. लाडू माली निवासी - हरिपुरा तहसील - भाण्डल

- प्रार्थी

बनाम

श्री भदन लाल शि. श्री छोगा माली निवासी - हरिपुरा तहसील - भाण्डल (प्रबंकिट प्राप्पत्र संलग्न)  
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 21-5-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 104 कुल कितना 01 रकबा 0.2782 हेक्टेयर रिथत है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-03-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अदलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 104 कुल कितना 01 रकबा 0.2782 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा को पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अनिलेख निरीक्षण को 500 रुपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में अगवानपुरा की यथास्थित को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अधिकारी  
[Signature]  
[Stamp]

प्रतिनिधि:- तहसीलदार माण्डल को नेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

[Signature]  
[Stamp]